

24/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|----------------------------|---------|--|
| तारीख | ब | प्रतिवादी |
| गन्दलाल पुत्र लिखमाण काण्ठ | ना म | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 182/2021 GCMS No. 2021/895


| | | |
|-------------|------------------------------------|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|---|

24/11/2021 वादी श्री गन्दलाल पुत्र लिखमाण जाति काण्ठ निवासी जसपन्ना द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत रसपुय थैला में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 ग्राम जसराना पटवार मण्डल रसपुय थैला के खाता नम्बर 29 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि गन्दलाल पुत्र लिखमाण दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम गन्दलाल पुत्र लिखमाण है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 8704 9641 3234 मतदाता पहचान पत्र 25/25/186/48518 न्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी रसपुय थैला भू.अ.नि. (कुचामनसिटी) एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

